न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–उदयपुर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 92/2015 रा.वा.

उनवान

1. मृतक रूपा पिता गोतमजी जाति पटेल के बजाय वारिस
   1/1 श्री रता पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/2 श्री केवा पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/3 श्री नंगा पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/4 श्री नोजा पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/5 श्री भेरा पिता रूपाजी डांगी उम बालिग
   1/6 श्री शंकर पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   सभी निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादीगण

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता धन्नाजी डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम
श्री विरेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता वादीगण,
प्रतिवादी सं. 1–एक पक्षीय
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलुम्बर उपस्थित

जिला सलूम्बर (राज.)

–::निर्णय::–

दिनांकः– 04/09/2024

वादीगण के वाद के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा तहसील सलुम्बर की निम्नलिखित आराजी रतनलाल पिता धनराज ब्राहम्ण से रजिस्टर्ड पंजीयन से दिनांक 30–10–1974 में बिल एवज 1300/–रू. में खरिदी तभी से वही बेरोक–टोक शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसके पुराने आराजी नम्बर 3125 रकबा 5 बीघा के नये आराजी नम्बर 4191 रकबा 1.83 हैक्टेयर बने है प्रतिवादी नं. 1 एक दिनांक 15–07–2015 को वादी के खरीदशुदा कृषि भूमि पर आकर वादी के साथ झगडा–फंसाद करने लगा तथा वादी को उसकी खरीदशुदा कृषि भूमि को खाली करने के धमकी देने लगा व कहने लगा कि यह कृषि भूमि बिलानाम होकर मेरे नाम एलोटमेन्ट करना चाहता हूँ तुम यह कृषि भूमि खाली कर दो इसलिये प्रतिवादी सं. 1 को पक्षकार बनाया गया है एवं उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पेश है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादी ने उसके बाद अपनी कृषि भूमि के सभी रेकार्ड इकट्ठा किये तो पता चला कि वक्त पैमाईश सेटलमेन्ट वालो ने चुपचाप तरीके से वादी की बिना जानकारी के वादी की खरीदशुदा खातेदारी हक की कृषि भूमि को, बिलानाम घोषित कर दिया है जबकि सेटलमेन्ट वालो को किसी के खातेदारी हक की कृषि भूमि को बिलानाम करने का कोई अधिकार नही था फिर भी उन्होने अपने अधिकार से परे जाकर खातेदारी हक की कृषि भूमि को बिलानाम घोषित कर दिया। जिसे इन्द्राज दुरूस्ती कर वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है, इसलिये घोषणा का वाद पेश है। वाद वर्णित कृषि भूमि वादी की निजी होकर दिनांक 30–10–1974 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदी गई है तथा आज तक मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिये पुनः वादी के नाम दर्ज कराना आवश्यक है इसलिये इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा का वाद भी पेश है। वादी पर प्रतिवादी नं. 1 निरन्तर कृषि भूमि खाली कराने का दबाव बना रहा है इसलिये वाद आवश्यक व शीघ्र प्रकृति का होने से धारा 80 जा.दि. का नोटिस दिये बिना एवं धारा 80(2) जा.दि. में वाद पेश है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 4191 रकबा 1.83 हैक्टेयर भूमि को इन्द्राज दुरस्ती कर वादी को एकमात्र खातेदारा घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 जबरन वादी की कब्जेशुदा कृषि भूमि जो उसने रजिस्टर्ड पंजीयन से खरीदी है उसमें आकर वादी को कृषि करने से न तो स्वयं रोके न अपने नौकर, परिजन अथवा एजेन्ट से उक्त कृत्य करावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक प्रकरण मे नायब तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि रूपा पिता गोतमा डांगी निवासी जवारडा के ग्राम उथरदा के साबिक आराजी नम्बर 3125 रकबा 5 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज थी। भू–प्रबन्ध मे इसके हाल नम्बर 4191 रकबा 1.83 किस्म मगरी बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त आराजी मे से 1.08 हैक्टेयर भूमि पर रूपा पिता गोतमा डांगी का कब्जा काश्त है भूमि के चारो तरफ पत्थरों का कच्चा कोट बना रखा है।

अतः ग्राम उथरदा के हाल आराजी नम्बर 4191 रकबा 1.83 बिलानाम सरकार से रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि रूपा पिता गोतमा डांगी के नाम खाते दर्ज किया जाना उचित है।

वादीगण ने अपने उक्त वाद के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यु. 1 रूपा, पी.डब्ल्यु. 2 शंकरलाल के शपथ पत्र पेश किये एव दस्तावेजी सिबूत प्रदर्श पी.–1 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र, प्रदर्श पी.–2 जमाबन्दी नकल संवत् 2039 से 2042, प्रदर्श पी.–3 जमाबंदी संवत् 2070 से 2072 की नकल, प्रदर्श पी.–4 मिलान क्षैत्रफल पेश किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपना प्रार्थना पत्र दोहराया एवं कथन किया की वाद वर्णित आराजी 3125 की भूमि वादी ने दिनांक 30–10–1974 को रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरिदी जिसके बाद सेटलमेन्ट नये आराजी नम्बर 4191 बने जिसे सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने बिलानाम कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही की है तथा प्रतिवादी सं. 3 का जवाब आ गया है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पेरोकार सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि धारा 80 के तहत नोटिस नही दीया है न ही धारा 80(2) के तहत न्यायालय की वाद पेश करने की स्वीकृति ली है अतः वाद खारिज किया जावे।

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गवाहन के कथनो एवं जवाब दावा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रदर्श पी. 1 से जाहिर होता है कि वादी ने साबिक आराजी नम्बर 3125 रकबा 5 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 30–10–1974 द्वारा खरिदा। लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी. 4 से बने नये आराजी नम्बर 4191 का रकबा 1.83 अंकित है जो जिससे वादी द्वारा अपने दावे मे चाहे अनुतोष के अनुसार साबिक नम्बर से बने नये नम्बरो का रकबा मिलान नही होता है। अतः वादी द्वारा वादपत्र मे प्रस्तुत दस्तावेजो से वादपत्र पूर्णरूप से साबित नही होता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर, जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), सलुम्बर

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 92 / 2015 रा.वा..

उनवान

1. मृतक रूपा पिता गोतमजी जाति पटेल के बजाय वारिस
   1/1 श्री रता पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/2 श्री केवा पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/3 श्री नंगा पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/4 श्री नोजा पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   1/5 श्री भेरा पिता रूपाजी डांगी उम बालिग
   1/6 श्री शंकर पिता रूपाजी डांगी उम्र बालिग
   सभी निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—वादीगण

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता धन्नाजी डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री विरेन्द्र कुमार पटेल एवं प्रतिवादी सं. 1 की एक पक्षीय उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 04—09—2024 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

खर्चा मुकदमा उभयपक्ष अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 04—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	06	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	00	—
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	—	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	08	—	योग	00	—

सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर